न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 228 / 2011

प्रविष्टि दिनांक 08.07.2011

1–जगदीश पुत्र छोटू जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
2–पोलूराम पुत्र छोटू जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3–सीता पुत्री छोटू जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
4–गीता पुत्री छोटू जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
5–सुमित पुत्र श्योजी नाबालिगान जरिये माता मुस.धन्नी पत्नि श्योजी धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
6–सोनिया पुत्री नाबालिगान जरिये माता मुस.धन्नी पत्नि श्योजी धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
7–मुस.धन्नी पत्नि श्योजी जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 10.09.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली की भूमि ख0नं0 21 मे से 2600 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड दिनांक 28.06.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली संख्या 2328/2009 दिनांक 28.06.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 21 मे से 2600 वर्गमीटर वाके ग्राम माधोसिंहपुरा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बा–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थीगण व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। अधिसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी मे अंकत थी,उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस पर मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 21 मे से 2600 वर्गमीटर किस्म जमीन बारानी–1 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक दर से चाहा गया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि तहसीलदार देवली ने दिनांक 23.05.2001 से आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.36 है. मे से 0.10 है.(1000 वर्गमीटर) वाके ग्राम माधोसिंहपुरा का औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन का आदेश छोटू पुत्र रूधनाथ धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली के नाम से जारी किया गया है,परन्तु पत्रावली के साथ संलग्न अवार्ड पत्रावली मे सर्वे–प्रपत्र एंव जमाबंदी वाके ग्राम माधोसिंहपुरा सम्वत 2066–69 के खाता संख्या 34 मे खसरा नम्बर 21 का रकबा 0.26 है. किस्म जाव–1 रकबा 0.14 है. व चाही–1 रकबा 0.12 है. अंकित है तथा जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के खाता संख्या 1 मे खसरा नम्बर 593/21 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु. औधोगिक के रूप मे दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो खसरा नम्बर अलग–अलग है जो पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा ट्रेस से भी साबित है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय

न्यायालय जिला कलेक्टर

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड खसरा नम्बर 21 रकबा 2600 वर्गमीटर किस्म बारानी–1 का जारी किया गया है,जबकि गै.मु. औधोगिक का खसरा नम्बर 593/21 रकबा 0.10 है. है जो दिनांक 23.05.2001 से ही पृथक खसरा नम्बर के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 3 मे औधोगिक संपरिर्वतन के बाद खसरा नम्बर 21 के स्थान पर खसरा नम्बर 593/21 रकबा 0.10 है. बने होना स्वीकार किया है और संपरिवर्तन भूमि मे पक्का हॉल,रसोई,होटल,पानी का पक्का होज और बौरिग लगा होना स्वीकार किया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा खसरा नम्बर 593/21 की भूमि अवाप्त ना कर खसरा नम्बर 21 रकबा 0.26 है. अवाप्त किया गया है जो औधोगिक भूमि नही है और अवार्ड पत्रावली मे संलग्न सर्वे प्रपत्र अनुसार अवाप्त भूमि मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
आरबीट्रेटर, एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)